भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 986
13 दिसम्बर, 2022 को उत्तरार्थ

सहकारिता ढांचे का सशक्तिकरण

986. श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी:
डॉ. निशिकांत दुबे:

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार देश में विशेषकर झारखंड और बिहार राज्यों में सहकारी समितियों/ढांचे को सशक्त/मजबूत करने के लिए कोई कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उपर्युक्त राज्यों में सहकारी ढांचे को मजबूत करने के लिए कोई राशि आवंटित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार सहकारी संघवाद संबंधी संवैधानिक अधिदेश को कमजोर किए बिना किस तरीके से कार्य करने की मंशा रखती है; और

(घ) इस संबंध में प्रस्तावित ढांचा, यदि कोई है तो, उसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) जी हां, मान्यवर । सहकारी क्षेत्र को पुन: सक्रिय करने और झारखंड व बिहार राज्य सहित सभी राज्यों में सहकारी समितियों को सशक्त करने और इसकी पहुंच जमीनी स्तर तक करने के लिए सहकारिता मंत्रालय द्वारा विभिन्न पहलें की गई हैं जो निम्नानुसार हैं:

i. ₹2,516 करोड़ के कुल बजटीय परिव्यय से अगले तीन वर्षों में 63,000 कार्यशील प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (PACS) के कंप्यूटरीकरण की एक परियोजना को आर्थिक कार्य की मंत्रिमंडलीय समिति ने दिनांक 29 जून, 2022 के अपने निर्णय द्वारा स्वीकृत कर दिया है । इस परियोजना में सभी कार्यशील प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों को ERP (एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन सॉफ्टवेयर पर लाना, उन्हें राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के माध्यम से नाबार्ड के साथ जोड़ना शामिल है।

ii. पैक्स के लिए मॉडल उपविधियों को सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों और संबंधित मंत्रालयों सहित सभी हितधारकों के साथ गहन परामर्श के बाद पैक्स द्वारा अपने संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियमों के अनुसार अपनाए जाने के लिए तैयार किया गया है । पैक्स की ये मॉडल उपविधियां उन्हें डेयरी, मात्स्यिकी, पुष्पकृषि, गोदामों के निर्माण, खाद्यान्न, उर्वरक, बीजों की खरीद, एलपीजी/पेट्रोल/हरित ऊर्जा वितरण एजेंसी, बैंकिंग अभिकर्ता, कॉमन सेवा केन्द्र, आदि जैसे 25 से भी अधिक कार्यकलाप करने में उन्हें सक्षम करती हैं ।

iii. दिनांक 1 जून, 2022 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारी समितियों को गवर्मेंट इ-मार्केटिंग प्लैटफॉर्म पर बतौर 'क्रेता' पंजीकृत होने की अनुमति प्रदान कर दी है जिससे वे GeM पोर्टल के माध्यम से देश भर में 40 लाख से भी अधिक विक्रेताओं से माल और सेवा की खरीद करने में सक्षम हुए हैं । इससे सहकारी समितियों को बचत करने और अपनी खरीद प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी ।

iv. सहकारी समितियों और उनके सदस्यों की आय वर्धन के लिए 1 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए तक की कुल आय वाली सहकारी समितियों पर अधिभार को 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है ।

v. सहकारी समितियों को कार्पोरेट के अनुरूप अवसर प्रदान करने के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) की दर को सहकारी समितियों के लिए 18.5% से घटाकर 15% कर दिया गया है ।

vi. सहकार आधारित आर्थिक विकास मॉडल को गति प्रदान करने हेतु सहकारी संस्थानों को पर्याप्त, किफायती और समय पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 3 फरवरी, 2022 के परिपत्र के माध्यम से गैर-अधिसूचित शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैकों और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को गारंटी फंड ट्रस्ट योजना (CGTMSE) में सदस्य उधारकर्ता संस्थान के रूप में अधिसूचित किया गया है ।

vii. सरकार ने दिनांक 25 अक्टूबर, 2021 की अधिसूचना द्वारा सहकारी चीनी मिलों को यह स्पष्ट करते हुए बड़ी राहत प्रदान की है कि चीनी सहकारी मिलों को गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) या राज्य सलाह मूल्य (SAP), जो भी दशा हो, तक किसानों को गन्ने का उच्चतर मूल्य चुकाने पर कोई अतिरिक्त आयकर नहीं देना होगा ।

viii. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC), जो सहकारिता मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक संगठन है, सहकारी क्षेत्र को विभिन्न कार्यकलापों जैसे प्राथमिक/जिला सहकारी विपणन समितियों की शेयर पूंजी आधार को मजबूत करने, प्रसंस्करण केन्द्र, भंडारण सुविधाएं स्थापित करने, शीत श्रृंखला की स्थापना और आधुनिकिकरण, सहकारी बैंकिंग इकाइयों की स्थापना, कृषि सेवाएं, समेकित कृषि विकास परियोजनाएं, सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण में सहायता, सहकारी उद्यम सहयोग और नवाचार में 'युवा सहकार', स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र को कवर करने वाली 'आयुष्मान सहकार', महिला सहकारी समितियों की सहायता के लिए 'नंदिनी सहकार', आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है ।

(ख) मंत्रालय द्वारा की गई सभी पहलें संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सभी स्तरों और झारखंड व बिहार सहित सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में सहकारिता के सभी क्षेत्रकों को पुन:सक्रिय करने के लिए अभिमुखी है । NCDC ने झारखंड और बिहार राज्य को कृषि सहयोग पर केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत योजना (CSISAC) के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की है । दिनांक 07.12.2022 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) द्वारा जारी वित्तीय सहायता का विवरण निम्नानुसार है:

राज्य	**राशि (₹ करोड़)**
झारखंड	156.80
बिहार	6652.12

(ग) और (घ): ऐसी सहकारी समितियां जिनके उद्देश्य किसी एक राज्य में सीमिति नहीं हैं, वे संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत सूची-I – संघ सूची, प्रविष्टि 44 और भाग IXB द्वारा शासित होती हैं । ऐसी सहकारी समितियों का प्रशासन बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 और उसके तहत निर्मित नियमों के अधीन किया जाता है । बहुराज्य सहकारी समितियों में सतानवें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाविष्ट करने और उनमें शासन सशक्तिकरण, पारदर्शिता वृद्धि, जवाबदेही बढ़ाने और निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार, आदि लाने के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाईटी, 2002 में संशोधन करने की दृष्टि से सरकार द्वारा संसद में विधेयक पेश किया जा चुका है ।

*****